स्थूल अर्थशास्त्र के सिद्धान्त

Macro Economics Theory

बी.ए. द्वितीय वर्ष

सेमेस्टर IV

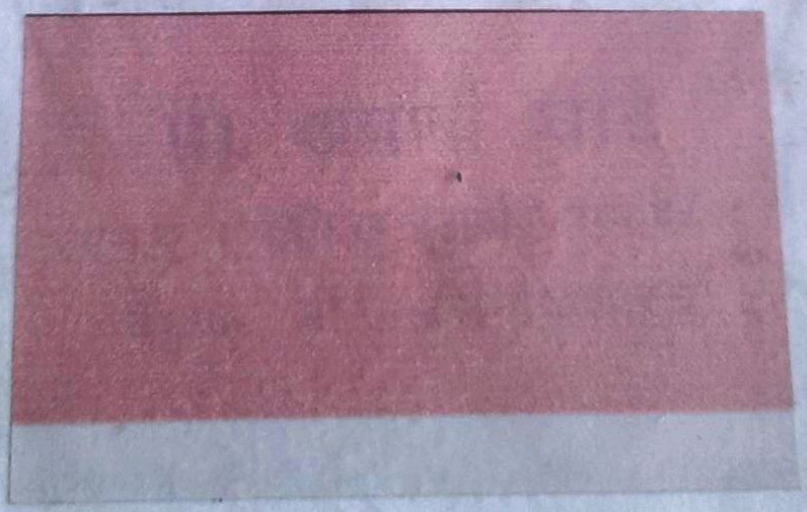

1

अनुक्रमणिका

युनिट I

व्यापारी एवं केन्द्रिय बैंक

प्रकरण 1 – व्यापारी बैंक
प्रकरण 2 – सुदृढ व्यापारी बैंक की तत्वे और साख निर्मिती
प्रकरण 3 – केन्द्रिय बैंक और साख निर्मिती

युनिट II

आर. बी. आय. और बँकिंग का नवप्रवर्तन

प्रकरण 4 – भारतीय रिजर्व बैंक
प्रकरण 5 – रिजर्व बैंक की मौद्रिक निती
प्रकरण 6 – आधुनिक बँकिंग प्रणाली
प्रकरण 7 – बैंकर्स समाशोधन गृह और खाजगी क्षेत्र की बैंक

युनिट III

वित्तीय बाजार

प्रकरण 8 – मुद्रा बाजार
प्रकरण 9 – वित्तीय बाजार
प्रकरण 10 – पूँजी बाजार

युनिट IV

स्वास्थ्य अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्रीय संख्याशास्त्र

प्रकरण 11 – स्वास्थ्य अर्थशास्त्र
प्रकरण 12 – अपकिरण

खण्ड I

व्यापारी और मध्यवर्ती अधिकोष (बैंक)

1) व्यापारी बैंक

(Commercial Banks)

बैंक की उत्क्रांती (Evolution of Bank)

बैंक शब्द का उपयोग दिर्घकाल से हो रहा है। इटालियन भाषा के बैंको इस शब्द से बैंक शब्द की उन्नती हुअी है । बैंको का अर्थ होता है 'बेंच' । इटली के ज्यू लोग रास्ते में बेंच डालकर विविध देश के चलन आपस में बदलते थे । आधुनिक बैंक की शुरुवात युरोप में हुअी है। सन 1609 में हॉलड मे बैंक ऑफ एमस्टरडम, 1619 में जर्मनी में बॅंक ऑफ हैम्बर्ग और 1694 में इंग्लंड में बैंक ऑफ इंग्लंड की स्थापना हुअी ।

1) पुरातन समय में बॅंकिंग कार्य का प्रारंम्भ – प्राचीन काल में बैंकींग कार्य करने के लिए साहूकार महाजन, सोनार, सराफ थे । पैसों की लेन – देन कर लोंगो की निकड पूरी करते थें ।

2) अठरावे शतक में बॅंक की स्थापना – भारत में पहली संयुक्त पूंजी बैंक 1786 में बंगाल में जनरल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से स्थापना हुअी । इसे सरकार की बैंक के नाम से मान्यता मिली । इसके बाद बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास स्थापना हुअी । अलाहबाद बैंक, पंजाब नॅशनल बैंक भी अठरावे शतक में ही स्थापना हुअी ।

3) बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास इन प्रेसिन्डेसी बैंको की स्थापना करके इम्पीरिअल बैंक ऑफ इंडिया की 1921 में स्थापना थी ।

4) भारत मे दीर्घकाल से ही मध्यवर्ती (केन्द्रीय) बैंक की आवश्यकता थी । इस आवश्यकता को पूर्ण करने के हेतु । एप्रिल 1935 की रिझर्व्ह बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गयी । रिझर्व्ह बैंक को देश के केन्द्रिय बैंक के सम्पूर्ण कार्य और अधिकार प्रदान किये गये । नोट निर्गमन का एकाधिकार भी दिया गया । शुरू में रिझर्व्ह बैंक पूँजीदारों की बँक थी। परन्तु 1948 में राष्ट्रीयीकरण हुआ और रिजर्व्ह बैंक सम्पूर्ण सरकारी बैंक हुअी है।

5) भारतीय कंपनी कायदा 1913 के अनुसार व्यापारी बैंकों की स्थापना होती थी। 1936 में उसमें संशोधन हुआ परन्तु विकास नही हुआ। इसी कारण जमाकर्ता के हित सुरक्षित रखने के लिए 1949 में बॅंकिग नियमन कायदा पास किया गया ।

6) 19 जुलै 1969 में 14 मुख्य अनुसूचित बॅंकों का राष्ट्रीयीकरण किया। अर्थव्यवस्था का जल्द विकास के लिए वित्तीय संसाधने उपलब्ध करना, ग्रामिण क्षेत्र में बॅंकिंग सुविधा देना, इस उददेश्य से राष्ट्रीयीकरण हुआ था । 15 एप्रिल 1980 में और 6 बैंको का राष्ट्रीयीकरण किया गया था ।

बैंक का अर्थ व परिभाषा – Meaning – Definition of Bank

बैंक शब्द प्रचलित शब्द है और सभी स्तर के लोंगो का सम्बन्ध बैंको के साथ आता है। बैंक व्याज देकर लोंगो की जमा का स्विकार करती है और ज्यादा ब्याज पर कर्ज के रूप में पैसे देती है। कुछ प्रसिद्ध अर्थशास्त्री नें बॅंकों की परिभाषा की है।

1) प्रो. किनले –"जो संस्था कर्ज की सुरक्षितता को ध्यान देते हुए (आवश्यक) लोंगो को उधार रकम देती है, और पैसों की आवश्यकता न रहने पर अपना पैसा विश्वास के साथ जिस संस्था के पास रखती है, उस संस्था को बैंक कहते है।"

A Bank is an establishment which makes to individual advance of money as may be required and safety made and to which individuals entrust money when not required by them for use – Prof. Kinley

2) सेयर्स के अनुसार – बैंक वह संस्था है, जिसका कर्ज अन्य लोंगों के एक दुसरे के कर्ज की वापसी करने के लिए विस्तृत प्रमाण पर स्विकार की जाती है ।

A Bank is an institution, whose debts are widely accepted in settlement of other people's debts to each other . – Sayers.

3) भारतीय बैंकीग कम्पनी कायदा 1949 – कर्ज देने के लिए या विनियोग करने के लिए लोंगो के पैसो की जमा स्विकारना उस जमाराशी मॉग करते ही या उसका शोधन या उस जमा चेक, ड्राफ्ट या अन्य दिशा से जमाकर्ता को या उसके आदेशनुसार अन्य व्यक्ति को वापस करना आदि कार्य करनेवाले संस्था को बैंक कहते है।

The accepting for the purpose of lending or investment of deposits of money from public repayable on demand or otherwise & withdrawable by cheque, drafts, order or otherwise" – the Indian Banking Companies Act 1949.

उपरोक्त परिभाषा से बैंक सम्बन्धी निम्न बाते स्पष्ट होते है।

1) बैंक एक संस्था है।

2) बैंक लोंगों के पैसो की जमा स्विकारती है।

3) बैंक आवश्यक लोंगों को कर्ज देती है।

4) बैंक जमा से मिलनेवाले पैसो का कुछ मात्र अन्य जगहो पर विनियोग करती है।

5) बैंक लोंगो की मॉग नुसार पैसे वापस करती है।

6) बैंक लोंगों के जमा पर ब्याज देती है और कर्ज पर ब्याज वसूल करती है।

7) जमाराशी पर देनेवाला ब्याज दर और कर्ज पर लगाया ब्याज दर मे अन्तर रहता है। यह अन्तर ही बैंक का उत्पन्न होता है।

बैंक का महत्व/उपयोगिता (Importance /Utility of Banks)

बैंक से निम्न लाभ प्राप्त होते है, इसलिए देश की अर्थव्यवस्था में बैंक का महत्व है।

1) बचत संग्रह – बैंक देश की बचत को इकठ्ठा करके उस बचत को उद्योग व व्यापार के लिए उपलब्ध कर देती है।

2) मौल्यवान धातू की बचत – बैंक अस्तित्व में आने से सभी प्रकार के देन चेक्स, ड्राफ्ट जैसे प्रत्यय पत्र व्दारा दिये जाते है, इसलिए मौल्यवान धातू की बचत होती है।

3) रकम का स्थानांतर – पैसा एक जगह से दुसरे जगह पर या एक देश से दुसरे देश में भेजना बैंक के कारण सम्भव होता है।

4) लोचदार मुद्रा पद्धती – मध्यवर्ती बैंक की स्थापना से देश की मुद्रा पदधती लोचदार हुअी है। देश की आवश्यकता से मुद्रा का परिणाम बढाना या कम करना सम्भव हुआ है।

5) कीमत स्तर मे स्थैर्य – प्रत्यय के योग्य नियमण व्दारा कीमत स्तर मे स्थैर्य निर्माण होता है।

6) आंतरराष्ट्रिय व्यापार के लिए पूंजी – आंतराष्ट्रिय व्यापार के लिए पूंजी उपलब्ध करले का कार्य बैंक करती है।

7) शोधन सुविधा – बडे प्रमाण पर रक्कम का शोधन बैंक के माध्यम से करना सुलभ होता है।

बैंक के प्रकार

आधुनिक अर्थव्यवस्था मे विभिन्न क्षेत्रो की वित्तीय आवश्यकता पूर्ण करने के लिए विभिन्न बैंको की स्थापना हुआी है। कृषी उद्योग, व्यापार, निर्यात आदि क्षेत्रों में वित्त पूर्ती के लिए विभिन्न बैंको की स्थापना की है।

बैंक के प्रकार

अ) उद्देश/कार्य के नुसार प्रकार प्रकार

↓

1) व्यापारी बैंक बैंक
2) सहकारी बैंक
3) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक
4) बचत बैंक
5) औद्योगिक बैंक
6) विनिमय बैंक
7) आंतरराष्ट्रिय बैंक
8) ग्राहक बैंक
9) मध्यवर्ती (केन्द्रिय) बैंक

ब) मालकी व नियंत्रण नुसार

↓

1) सरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र की
2) खाजगी क्षेत्र की बैंक
3) सहकार क्षेत्र की क्षेत्र
4) विदेशी बैंक

स्पष्टिकरण – उद्देश / कार्य के नुसार बैंक के प्रकार

1) व्यापारी बैंक – जिसे बैंक व्दारा व्यापारी / अन्य लोगों को अल्प समय का कर्ज उपलब्ध करती है उन्हे व्यापारी बैंक कहते है। व्यापारी बैंक, अल्प, मध्यम और दीर्घ कालावधी के कर्ज देती है। यह कर्ज कृषी, उद्योग, लघुउद्योग, वन के लिए उपलब्ध होते है।

2) सहकारी बैंक – सहकार तत्व के आधार पर सहकारी बैंक की स्थापना हुआी है। व्यापारी बैंक के समान सहकारी बैंक के निम्न चार प्रकार है।

अ) नागरी सहकारी बैंक – शहरी भागो के लोगो की आर्थिक आवश्यकता पूर्ण करने के लिए और बॅकिंग विषयक सेवा उपलब्ध करने के लिए नागरी बैंको की स्थापना हुआी है।

ब) कृषी बैंका – कृषी विकास के लिए अल्प, मध्यम, दीर्घ कालावधी के कर्ज की आवश्यकता रहती है। बैंक कृषी सम्बन्धी वस्तुओं के लिए कर्ज देती है।

क) भूमी विकास बैंक – कृषी क्षेत्र से दीर्घ कालावधी कर्ज यह बैंक देती है। उदा– भूमी विकास, टॅकटर खरीदी पानी की सुविधा

3) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक – कृषी और ग्रामीण क्षेत्र की जल्द विकास करने के हेतु [illegible] का निर्माण किया है। [illegible]

4) [illegible] बैंक – [illegible]

5) औद्योगिक बैंक – औद्योगिक बैंक [illegible] करती है।

6) विनिमय बैंक – विदेशी व्यापार को [illegible]

7) [illegible] बैंक – [illegible] है।

8) आंतरराष्ट्रीय बैंक – आंतरराष्ट्रीय या जागतिक बैंक की स्थापना [illegible] बैंक की स्थापना हुवी है।

9) केंद्रिय बैंक – देश की अर्थव्यवस्था नियंत्रण रखने के दृष्टिकोन से एक [illegible] बैंक होती है। इस बैंक पर मालकी व नियंत्रण सरकार के रहती है।

इस बैंक की कार्य –

1) चलन निर्मिती करना (नोट छपाई)

2) सरकार की बैंक, बैंक की बैंक करके कार्य करना ।

3) पतचलन नियंत्रण रखना ।

4) परकीय चलन संभालना ।

5) आर्थिक सांख्यिकी व बैंकींग विषयी जानकारी प्रसिद्ध करना।

ब) मालकी व नियंत्रण से बैंक के प्रकार

1) सरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक – इस बैंको पर सरकार की मालकी रहती है। उदा – रिझर्व्ह बैंक ऑफ इंडिया, राष्ट्रियकृत बैंक, नाबार्ड आदि.

2) खाजगी क्षेत्र की बैंक – इस बैंक की पुंजी खाजगी विनियोगदार व्दारा होती है। इसलिए व्यवस्थापना व नियंत्रण खाजगी व्यक्ती व्दारा होते है। लाभ प्राप्त करना या मुख्य उद्देश रहता है।

3) सहकार क्षेत्र की बैंक – सहकार व सेवाभाव के तत्वनुसार बैंक स्थापना हुवी है। प्रत्येक भागधारक एक सदस्य एक मत इस तत्वनुसार प्रतिनिधी के मार्फत बैंक का व्यवस्थापना होता है।

4) विदेशी बैंक – विदेश मे स्थापन हुवी बैंक की अपनी शाखा भारत मे खोली है। उसपर मालकी व नियंत्रण विदेश के पूंजीदारोंका होता है. परंतु भारत के निर्देशनुसार ही कार्य करना पडता है।

वणिज्यिक बैंक / व्यापारी बैंक (Commercial Bank)

अर्थ – "लोंगो से जमा स्विकारना और उस आधार पर साख निर्माण करना और लाभ प्राप्त करने के उद्देश से व्यापारी बैंक की स्थापना हुवी है।"

ऑक्सफोर्ड शब्दकोषनुसार – "व्यापारी बैंक वह संस्था है , जो ग्राहको के आदेशनुसार उनकी संपत्ती (धन) का रक्षण करती है।"

व्यापारी बैंकों का वर्गीकरण (Classification of Commercial Bank)

अ अनुसूचित बैंक

ब. गैर अनुसूचित बैंक

अनुसूचित बैंक (Scheduled Bank)

रिजर्व बैंक ने अपने दूसरी सूची मे जिस किसी बैंक को समाविष्ट किया है असे अनुसूचित बैंक कहा है।

इस बैंक का वसूल भांडवल (Paid-up Capital) और राखिव निधी (Reserve Fund) कम से कम 5 लाख रू. होना चाहिए । हर सप्ताह मे अपनी स्थितीविवरण रिजर्व बैंक के पास भेजना आवश्यक होता है।

ब) गैर अनुसूचित बैंक – जिस बैंक को रिजर्व्ह बॅंक ने अपनी दुसरी सूची में समाविष्ट नही किये, उस बैंक को गैर अनुसूचित बैंक कहते है। इस बैंकोंकी पूँजी एवं राखीव निधी 5 लाख रू से कम होती है।

व्यापारी बैंक की कार्ये (Functions of Commercial Bank)

व्यापारी बैंक की कार्ये

- प्रमुख कार्ये
  - जमा स्विकारना
    - 1 चालू
    - 2 बचत
    - 3 मुदती (कालावधी)
    - 4 आवर्तक
    - 5 गृहकोष
  - कर्ज देना
    - 1. रोख
    - 2. रोख प्रत्यय
    - 3. अधिकोष अधिविकर्ष
    - 4. विपत्र शोधन
- दुय्यम कार्ये
  - अभिकर्ता करके कार्य
    - 1. रकम जमा करना
    - 2. रकम भरना
    - 3. रकम स्थानांतरण
    - 4. भाग व कर्ज रोखा खरेदी विक्री
  - अन्य कार्य
    - 1. वस्तू संभालना
    - 2. प्रवासी चेक्स देना
    - 3. पत्रपत्र देना
    - 4. विदेशी व्यापार मदद

प्रमुख कार्य

1) जमा स्विकार करना – जमा स्विाकरना बैंक का महत्व पूर्ण कार्य है। लोंगो से आये जमा का उपयोग आवश्यक लोगो को कर्ज देने के लिए किया जाता है। बैंक लोगो के सुविधानुसार निम्न प्रकार की जमा सिवकारती है

अ) चालू जमा – जिस जमा दिन मे कितनी भि बार रक्कम जमा कर सकती है या निकाल सकत है उस ठेव को चालू जमा कहते है। व्यापारी, उद्योगपती अन्य संस्था के दैनंदिन व्यवहार बडे प्रमाण पर होते है, उन्हे चालू जमा आवश्यक लगती है । बैंक चालू जमा राशीपर ब्याज दर बहोत कम देती है।

7

ब) दुय्यम कार्ये

अधिक ग्राहक जमा करने के उद्देश्य से बँक दुय्यम कार्य करती है। दुय्यम कार्य दोन विभाग मे विभाजीत जाती है।

1) ग्राहको का अभिकर्ता के रूप मे कार्य करना ।

2) अन्य उपयुक्त कार्य

1) ग्राहकोंका अभिकर्ता के रूप मे कार्य :

बँक अपने जमाकर्ता की तरफ से अभिकर्ता (प्रतिनिधी) के रूप में कुछ कार्य करती है।

1) रकम जमा करना – बँक अपने खातेदार के तरफ से पेन्शन, लाभांश ब्याज आदि रकम जमा करती है। इस काम के लिए खातेदार से बँक शुल्क लेती है।

2) रकम भरना – बँक खातेदार के तरफ से मकान किराया, बिजली बील, टेलीफोन बील, नगरपालिका कर, कर्ज का हप्ता, विमा हप्ता, अधि रकम। बँक में जमा हो सकता है। उसके लिए बँक नाममात्र शुल्क लेती है।

3) रकम स्थानांतरण – खातेदार के सूचनानुसार एक जगह से दुसरे जगह पैसे भेजने की व्यवस्था बँक करती है। पैसे भेजने के लिए चेक, ड्राफ्ट, मेल, टेलीग्राम आदि साधनों का उपयोग करती है।

4) भाग –कर्जरोखा की खरीदी – विकी बँक करती है।

अन्य उपयुक्त कार्य

1) किमती वस्तु संभालना –

मौल्यवान वस्तू दागिने एस्तावेज, सुरक्षित रहने के लिए बँक खातेदार को सेफ डिपॉझिट व्हाल्ट (लॉकर) की सुविधा उपलब्ध कर देती है। यह लॉकर खातेदार को किराया से मिलता है।

2) प्रवासी चेक्स देना –

सफर करते समय पैसे चोरी होने की सम्भावना होती है। इसलिए बँक खातेदार को सफर के लिए चेक्स देते है। सफर मे जब पैसों की जरूरत होती है, तब वहॉ की बँक शाखा में चेक्स के रोख रकम में रूपांतर किया जाता है।

3) पतपत्र देना –

उधारी पर माल खरिदी करते समय क्रेता – विक्रेता की पहचान मे आनेवाली मुश्किलों को दूर करने के लिए बैंक विकेता को पतपत्र देती है।

4) विदेशी व्यापारों मे मदत करना –

वस्तू का मालकी हक्क सम्बन्धी दस्तावेज निर्यातक से आयातक को भेजना, वस्तू की कीमत वसूल करना आदि कार्य करती है।

5) सांख्यिकी प्रसिद्ध करना –

बैंक को सांख्यिकी प्रकाशित करनी पडती है। इसका उपयोग व्यापारी और संशोधन को होता है।

व्यापारी बैंक का राष्ट्रियकरण (Nationalization of Commercial Bank)

भारत में बैंकिंग व्यवसाय खाजगी क्षेत्र में था । खाजगी क्षेत्र का प्रमुख उददेश लाभ प्राप्त करना होता है। बैंक खाजगी क्षेत्र के अद्योग व्यवस्थापक के हितसम्बन्ध अच्छे थे

2) सुदृढ व्यापारी बैंक की तत्वे और साख निर्मिती

Principles of Sound Commercial Bank & Credit Creation

सुदृढ बैंक की तत्वे

बैंक के पास जमा हुअी रक्कम जमाकर्ता के (मालकी) हक की रहती है। वह राशी मॉग करते समय वापस करनी पडती है। जमा के रूप मे बैंक के पास जमा हुअी राशी को विनियोग करके बैंक उसीसे उत्पन्न जमा करती है। बैंक की संपती सुरक्षित रखकर विनियोग से अधिक लाभ प्राप्त करने का बैंक प्रयास करती है। क्योंकि उसी उत्पन्न से बैंक को अपना आर्थिक व्यव्हार करना पडता है। इसलिए विनियोग करते समय बैंक को कुछ तत्वों का पालन करना पडता है। इसी तत्वों को सुदृढ व्यापारी बैंक की तत्वे कहा जाता है।

सुदृढ व्यापारी बैंक की तत्वे

अ) सुरक्षितता का तत्वे (Principle of Safety)

ब) तरलता का तत्व / रोखता का तत्व (Principle of Liquidity)

क) लाभ का तत्व

ड) विक्री

इ) कीमत स्थिरता का तत्व

फ) कर मुक्ती का तत्व

स्पष्टिकरण – 1) सुरक्षितता का तत्व (Principle of Safety)

बॅकींग व्यवहार मे यह तत्व होत महत्व का तत्व है। बैंक लोगो से जमा के रूप मे पैसा इकठठा करती है। और शेअर्स बेचकर पुंजी जमा करती है। जमाकर्ता और पुंजीदारों का पैसा सुरक्षित रहना आवश्यक होता है। अपना पैसा विनियोग करते समय सुरक्षा पर ध्यान देना बैंक को जरूरी रहता है। अपने विनियोग मे ज्यादा से ज्यादा सुरक्षितता प्राप्त करने के लिए निम्न नियमोंकी पूर्ती करनी पडती है। इसी नियमो को सुरक्षितता नियम कहते है।

नियम –

1) अनेक व्यक्ती को कर्ज देना चाहिए – बैंक को एक ही व्यक्ती को बडें रकम को बडें रकम के कर्ज देने के बजाय छोटे छोटे रकम में अनेक व्यक्ती को कर्ज देना चाहिए। ऐसे करने से जोखिमक I प्रामण कम होता है।

2) अनेक व्यवसाय को कर्ज देना चाहिए – बैंक को एक ही व्यवसाय के लिए बडी रकम कर्ज के रूप मे देने के बजाय छोटे छोटे कर्ज अनेक व्यवसाय को देनी चाहिए। ऐसे करने से जोखम का प्रमाण कम होता है। अनेक व्यवसाय मे से किसी एक व्यवसाय न चलने से दिये कर्ज वापस नही मिले तो बैंक को बहोत ज्यादा नुकसान सहन नही करना पडता है।

3) अल्प (मुदत) समय की कर्ज देनी चाहिए – कर्ज की समय जितनी ज्यादा उतनी जोखिम ज्यादा रहती है। इसलिए बैंक ने दीर्घकालावधी की कर्ज नही देनी चाहिए। अल्प समय की कर्ज देनी चाहिए।

4) विशिष्ट क्षेत्रों मे कर्ज नही देनी चाहिए – किसी विशिष्ट क्षेत्रो मे (दुष्काळ) महापूर, भूकंप जैसे नैसर्गिक आपत्ती से अर्थव्यवस्था सकट मे आयी तो कर्ज की वसूली करना मुश्किल होता है।

5) उत्पादक कार्य के लिए कर्ज देना चाहिए – व्यक्ती उत्पादक कार्य क लिए कर्ज लेती है, तो ऐसे कर्ज देने मे जोखिम नही रहती है। उसमे सुरक्षितता रहती है। क्योकी ऐसे कर्ज से वस्तु की निमिर्ती होती है। वस्तु विकी से कर्ज की वसूली होती है।

इसके अलावा कर्ज देते समय तारण का विचार होना चाहिए कर्ज वापस नही हुआ तो उसकी वसुली तारण रखी हुअी वस्तु से की जाती है।

2) तरलता का तत्व (Principle of Liquidity)

अपने संपत्ती का कम से कम समय पे पैसो मे परिवर्तन करने की बैंक की शक्ति का अर्थ तरलता है। बैंक लोगो का पैसा जमाराशी के रूप मे लेती है। उसे माँग करने पर वापस करती है। इस व्यवहार को बैंक बडी दक्षता से निभाती है। ऐसा नही हुआ तो बैंक पर लोगो का विश्वास टूट सकता है। इसलिए बैंक को तरलता पर विशेष ध्यान देना पडता है। अपनी विनियोग रोखता तरलता का निम्न क्रम बैंक को रखना चाहिए।

1) रोख कोष (Cash Reserve)

जमाकर्ता की रोख रकम की मॉग रोख कोष मे से पूरी होती है। बैंक के पास रोख कोष, अन्य बैंकेतील रोख, मध्यवर्ती बैंक के पास रखी हुअी रोख ऐसे 3 प्रकार की रकम होती है। प्रथम रोख रकम का उपयोग होता है। मॉग पूरी न होने पर अन्य बैंकेतील रोख रकम और अंत मे मे मध्यवर्ती बैंक के पास रखी हुअी रकम का उपयोग करके अपनी आर्थिक संकट दूर कर सकती है।

2) माँग करते समय पर या अल्प सूचनार्थ कर्ज –

जो कर्ज बैंक को बॅक न मॉग करने के बाद तुरन्त वापस करना पडता है, उसे मॉग करने समय वापस करनेवाला कर्ज कहा जाता है।

3) शोधन विपत्र (Bills Discounted)

व्यापारी बॅक को अपने ग्राहकोने शोधन किये हुअे विपन्न बैंक की तरल संपत्ती है। बैंक को जब पैसों की बहोत ज्यादा जरूरत पडती है, तब बैंक अपने पास के पहले शोधन किये विपन्न को फिर सें मधवर्ती बैंक के पास रोख रकम मे परिवर्तित कर सकती है।

4) प्रतिभूती (Security)

तरलता के दृष्टि से प्रतिभूती का चौथा कमांक नंबर लगता है। कर्जरोखा + शेअर्स + रोखे = प्रतिभूती जिस समय बॅक को पैसो की जरूरत है, उस समय शेअर्स बाजार मे प्रतिभूती की विकी की जाती है।

5) कर्ज और अग्रिम (Loans & Advances)

तरलता के दृष्टिसे कर्ज और अग्रिम का आखरी क्रमांक आता है। क्योकिं बैंक कर्जदार को जो कर्ज देती है, वो एक विशिष्ट समय के लिए होने के कारण वे समय के पहले नही मिल सकते। इसलिए ऐसे विनियोग मे तरलता बहोत कम रहती है।

6) लाभदायकता का तत्व (Principal of Profitability)

बँक ने अपने विनियोग से ज्यादा से ज्यादा लाभ देना याने लाभदायकता है। पूँजीदार (शेअर्स होल्डर) बॅक के मालक होते है। उन्हे लाभांश देना बैंक का कर्तव्य होता है। लाभदायकता का तत्व पूँजीदारों के दृष्टि से आवश्यक है। जमाकर्ता ब्याज देना बैंक दृष्टि से खर्च है। जमा राशी पर दिये जाने वाले ब्याज दर से ज्यादा दर से बॅक को अपनी रोख रकम विनियोग करना आवश्यक होता है। जमाराशी पर जानेवाला ब्याज दर और विनियोग से प्राप्त होनेवाला दर इन दो दरो मे जितना ज्यादा फर्क होगा, उतना बैंक को लाभ ज्यादा होगा ।